



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 आश्विन 1944 (श0)
(सं0 पटना 821) पटना, सोमवार, 10 अक्टूबर, 2022

सं० 14/विविध-08/2021-736(14)/स्वा०
स्वास्थ्य विभाग

संकल्प

13 अप्रैल, 2022

विषय :-बिहार राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य बहिर्वासी रोगों की सूची में आठ (08) अन्य रोगों को सम्मिलित करने के संबंध में।

बिहार उपचार नियमावली-1947 एवं इसके अंतर्गत समय-समय पर निर्गत विभिन्न आदेशों, परिपत्रों/संकल्पों के माध्यम से राज्य के सरकारी पदाधिकारियों/कर्मियों को चिन्हित बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है।

2. स्वास्थ्य विभागीय परिपत्र संख्या-1182(14), दिनांक-02.06.2006 द्वारा निम्नांकित कुल 06 (छः) बहिर्वासी रोगों की करायी गयी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य है:-

(i) यक्ष्मा (T.B.)	(ii) कैंसर (Cancer)	(iii) कुष्ठ (Leprosy)
(iv) हृदय की शल्य क्रिया के बाद चिकित्सा पर हुए व्यय	(v) गुर्दा (Kidney) प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय की।	(vi) लिवर प्रत्यारोपण के बाद की चिकित्सा पर हुए व्यय।

3. पुनः स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या-1977 (14), दिनांक-14.08.2006 द्वारा उपरोक्त बहिर्वासी रोगों के अतिरिक्त निम्नांकित कुल 09 (नौ) रोगों की करायी गई बहिर्वासी चिकित्सा की प्रतिपूर्ति अनुमान्य की गई है:-

(i) हेपेटाइटिस -सी	(ii) हेपेटाइटिस -बी	(iii) लिवर सिरॉसिस
(iv) हेमोफिलिया	(v) प्लास्टिक एनीमिया	(vi) एड्स
(vii) कालाजार	(viii) लकवा	(ix) गुर्दा रोग में डायलेसिस आरम्भ होने पर।

4. उक्त निर्गत संकल्प/परिपत्र में उल्लेखित रोगों से इतर भी कई अन्य जटिल रोग हैं जिनकी चिकित्सा बहिर्वासी रोगी के रूप में की जाती है, पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति के मामले सामने आ रहे हैं।

5. उक्त परिप्रेक्ष्य में बिहार उपचार नियमावली के नियम-26 को दृष्टिगत रखते हुए बहिर्वासी चिकित्सा के अन्तर्गत वैसी रोगों जिनका उल्लेख पूर्व से निर्गत संकल्प/प्रावधान में नहीं किया गया है पर विचार करने के लिए

विभागीय आदेश संख्या-1354(14), दिनांक-03.08.2021 द्वारा निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना की अध्यक्षता में चार सदस्यीय "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" का गठन करते हुए उनसे अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्राप्त किया गया।

6. "बहिर्वासी चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति सरलीकरण समिति" से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए पूर्व से अनुमान्य उपरोक्त 15(पन्द्रह) रोगों के अतिरिक्त निम्नांकित-08(आठ) नये रोगों को बहिर्वासी रोगों के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमान्य रोगों की सूची में सम्मिलित किया जाता है:-

(i) रूमेटी गठिया (Rheumatoid Arthritis)	(ii) क्रोहन रोग (Crohn's Disease)	(iii) अतिगलग्रंथिता (Hyperthyroidism)
(iv) सोरायसिस (Psoriasis)	(v) लाइकेन प्लानस (Lichen Planus)	(vi) मस्तिष्क पक्षाघात (Cerebral Palsy)
(vii) पार्किंसन रोग (Parkinson's Disease)	(viii) पेल्विक इन्फ्लामेट्री (Pelvic inflammatory)	

7. पूर्व निर्गत संकल्प, परिपत्र एवं आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

8. यह संकल्प निर्गत तिथि से प्रभावी होगी।

आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेश कुमार,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 821-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>